(2)

संख्या–जी0आई0–132/पॉच–9–2011–9(192)/11

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **महानिदेशक,**
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **मिशन निदेशक,**
एन0आर0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9

लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2011

विषयः– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–एम–12015/90/2011–एम0सी0एच0, दिनांक 25–05–2011 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–एम–12015/90/2011–एम0सी0एच0, दिनांक 14–06–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में दिनांक 15–08–2011 से **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी :–

(1) सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क प्रसव सुविधा, जिसमें सामान्य एवं सीजेरियन, सभी प्रसवों के मामलों में कन्ज्यूमेबिल्स एवं औषधियां सम्मिलित होगी।

(2) घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्था तक आने हेतु जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू0 250.00 की परिवहन व्यवस्था लागू रहेगी।

(3) किसी प्रकार की जटिलता की आशंका होने पर आवश्यक जांचे जैसे–अल्ट्रासाण्ड आदि की सरकारी स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क व्यवस्था।

(4) एक सरकारी स्वास्थ्य इकाई से दूसरी स्वास्थ्य इकाई पर संदर्भन करने की स्थिति में गर्भवती महिला को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था।

(5) अति रक्ताल्पता की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु कन्ज्यूमेबिल्स एवं जांच आदि की निःशुल्क व्यवस्था।

(6) स्वास्थ्य इकाई पर 48 घंटे रूकने के दौरान प्रसूता हेतु भोजन की निःशुल्क व्यवस्था।

(7) स्वास्थ्य इकाई से छुट्टी होने पर वापस घर तक भेजने की निःशुल्क व्यवस्था अथवा रू0 6.00 प्रति किलोमीटर की दर से एकतरफा किराया (रू0 200.00 की अधिकतम सीमा तक)

क्रमशः.....

(8) नवजात को बीमार होने की स्थिति में स्वास्थ्य इकाई तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा (रू0 200.00 की अधिकतम सीमा तक)

(9) बीमार नवजात को स्वास्थ्य इकाई पर उपचार की निःशुल्क सुविधा।

2— यह योजना प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से संचालित की जायेगी। प्रथम चरण में 15 अगस्त, 2011 से समस्त जनपदों के चिन्हित एफ0आर0यू0 (जहां गर्भवती महिला के ठहरने की व्यवस्था हो) तथा इसी प्रकार चौबीस घंटे प्रसव सेवा वाली इकाईया कार्यक्रम से आच्छादित की जायेगी, जहां औसतन 150 प्रसव प्रतिमाह कराये जा रहे हैं। द्वितीय चरण में ब्लाक स्तर तक की चिन्हित अन्य सरकारी स्वास्थ्य इकाइयां ली जायेगी। यदि ब्लाक स्तर तक के कार्यक्रम संचालन के अच्छे परिणाम मिलेगें तो तृतीय चरण में अन्य इकाइयों को भी आच्छादित करने पर विचार किया जायेगा।

3— कार्यक्रम के संचालन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश, चेकलिस्ट, रिपोर्टिंग प्रपत्र तथा धनराशि शीघ्र ही निर्गत की जायेगी, जिसके उपरान्त ही जनपदों में इस योजना को संचालित किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–जी0आई0–132(1)/पॉच–9–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मिशन निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2— प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/पंचायती राज/नगर विकास/चिकित्सा शिक्षा/बेसिक शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।